

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस)
आई.आई.सी.ए. बिल्डिंग, 7^{वीं} मंज़िल,
प्लॉट P-6,7,8, से.-5, आई.एम.टी.
मानेसर, गुडगाँव, हरियाणा - 122050.
Email: roc.cpace@mca.gov.in



Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Centre for Processing Accelerated
Corporate Exit (C-PACE)
IICA Building, 7th Floor,
Plot P-6,7,8, Sector-5, IMT Manesar,
Gurgaon, Haryana - 122050.
Email: roc.cpace@mca.gov.in

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/791

दिनांक: -21.02.2024

संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (6) कम्पनियों का नाम मध्य प्रदेश राज्य से हटाने के मामले में:

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6794057	U24231MP2010PTC023737	फार्मबियो रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6805742	U29268MP2015PTC033776	इन्वेंशन मशीनरी और कंपोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AA6729457	U15549MP2016PTC041908	पेस्टो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AA6750745	U74999MP2016PTC041417	लावण्या हेयर एंड ब्यूटी सैलून प्राइवेट लिमिटेड
5	AA6786098	U51393MP2021PTC056184	स्काई टेक्नो क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AA6768670	U46497MP2023PTC065903	ट्रिप्सन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है
4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं ।

(हरिहर साहू)

पंजीयक

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

~~HARIHAR~~
~~A SAHOO~~

Digitally signed by HARIHARA SAHOO
DN: c=IN, o=OFFICE OF THE REGIONAL
DIRECTOR (ERL, KOLKATA, ou=JOINT
DIRECTOR,
2.5.4.20=d3638cfc26582a739e5af9078931
581203b2d994221d433833d3a732822dcb
9e, postalCode=700020, st=WEST BENGAL,
serialNumber=b7121ae2e42ce56330406e
b4f58443e73d19b2759d047b4b0a57fcbfc
b388405, cn=HARIHARA SAHOO
Date: 2024.02.21 17:17:37 +05'30'

cbc 07123/11/0471/2324